न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री रणछोड़ पिता मणिलाल पंड्या **बनाम** श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल पंड्या

पत्रावली संख्या–24/2023

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
	दिनांक 29.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे की आराजी मौजा धम्बोला के खाता संख्या 579 के खसरा संख्या 5188 रकबा 0.3237 हैक्टेयर प्रार्थी एवं उसका परिवार के सदस्य काबिज हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पत्थर का परकोटा बनाकर कब्जा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पीछे की ओर अप्रार्थीगण की खसरा नं. 5187 भूमि है। विपक्षीगण, प्रार्थी की आराजी भूमि में जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने हेतु आये दिन झगड़ा फसाद करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की भूमि में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिक्रमण स्वयं करें न ही अपने मित्र ऐजेन्ट, मजदुरों से करावें। वादग्रस्त आराजी का कोई भी हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करें न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पदित करें, जिससे राजस्व रिकार्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा न ही प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करें। ऐसे में ता फैसला रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण के वकील ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 5188 के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 5188 पर अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा कब्जा किया गया हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा, खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। **उपखण्ड अधिकारी** सीमलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा	

Scanned with OKEN Scanner